प्रेस नोट　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　दिनांक 16.08.2025

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के रूपये बरामद ।

दिनांक 28.07.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री सुधीर वशिष्ठ एडवोकेट द्वारा सूचना दी गई कि उनके व उनके साथी के चैम्बर से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा-331(4) व 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । तत्पश्चात दिनांक 12/08/2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त मौहम्मद वसीम पुत्र मौ0 हनीफ निवासी शाहजहाँ कॉलोनी गली न0-01 पिलोखडी रोड थाना लिसाडी गेट मेरठ को चोरी के 1210/- रुपये, इन्वर्टर, बैट्री व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा के साथ गिरफ्तार कर नियमानुसार जिला कारागार भेजा गया एवं अन्य वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई।

तत्पश्चात आज दिनांक 16.08.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त इमरान पुत्र नवाब निवासी श्याम नगर गढ्ढे वाली मस्जिद के पास, पिलोखड़ी रोड़ थाना लिसाड़ी गेट जिला मेरठ उम्र 30 वर्ष को खंजरपुर कट मोदीनगर हापुड़ रोड़ के सामने से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी के 10-10 रुपये के 76 सिक्के कुल 760 रूपये बरामद हुये । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने और मेरे साथी मौ0 वसीम ने मिलकर मोदीनगर तहसील से चोरी की थी । मेरे साथी वसीम को पुलिस ने कुछ दिन पहले पकड़ लिया था, मैं गिरफ्तारी के बचने के लिए छिपा हुआ था, लेकिन आज पुलिस ने मुझे पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

इमरान पुत्र नवाब निवासी श्याम नगर गढ्ढे वाली मस्जिद के पास, पिलोखड़ी रोड़ थाना लिसाड़ी गेट जिला मेरठ उम्र 30 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी के 10-10 रुपये के 76 सिक्के, कुल 760 रूपये बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम ।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित अभियुक्त को पनाह देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 16.08.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित अभियुक्त सुशील प्रजापति को पनाह देने वाला अभियुक्त रोहताश उर्फ बबली पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 49 वर्ष को मौहल्ला ब्रजविहार कस्बा व थाना मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 249 बीएनएस बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि सुशील प्रजापति पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम नूरपुर थाना मसूरी गाजियाबाद हाल निवासी बृजविहार कालॉनी कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद मेरा रिश्तेदार है जिसके विरूद्ध थाना मुरादनगर पर दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत है। यह जानते हुये भी मैने सुशील प्रजापति व उसके बडे भाई पुष्पेन्द्र प्रजापति को पुलिस से बचाने के लिये पैसे देकर सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया था और मौका पाकर वे कहीं अन्यत्र स्थान पर चले गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रोहताश उर्फ बबली पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गा0बाद उम्र 49 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।